राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली

स्पीड पोस्ट से

राआबैंक(नदि)/डीआरएस/विविध परिपत्र सं.6/2011-12

29 अगस्त, 2011

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां

महोदय,

विषय : भुगतान का इलैक्ट्रानिक मोड - आवास वित्त कंपनियों द्वारा ई-भुगतान और ई-प्राप्तियां

पिछले कुछ वर्षों के दौरान जैसाकि आपको ज्ञात होगा, बैंकिंग उद्योग द्वारा कंप्यूटरीकरण के क्षेत्र में और निपटानों के लिये इलैक्ट्रानिक प्लेटफार्म में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इन उपायों से बेहतर व कुशल नेटवर्किंग हुई और शाखाओं के बीच निपटान सुचारू हुआ तथा ईसीएस/ईएफटी/आरटीजीएस/नेट-बैंकिंग आदि सुविधाओं से ई-बैंकिंग को बढ़ावा मिला। बैंकिंग क्षेत्र द्वारा आमतौर से अपनाई कोर बैंकिंग साल्यूशन से इलैक्ट्रानिक मोड से लेनदेन के क्षेत्र का बहुत विस्तार हुआ जिससे चेकों का प्रयोग कम हुआ । इसके परिणामस्वरूप लागत, समय और जोखिम में बहुत कमी आई जो सामान्यता वित्तीय और बैंकिंग लेनदेन से जुड़े होते हैं । इन उपायों से खातों का समायोजन शीघ्रतापूर्वक, कुशलतापूर्वक व सुगमता से होने के कारण घोखाधड़ी का जोखिम घट जाता है और उससे ग्राहक की सेवा एवं ग्राहक संतुष्टि बेहतर हुई है । भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग और वित्तीय लेनदेनों के निपटान के लिये ई-मोड के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये अनेक उपाय किये हैं ।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, हम सूचित करते है कि आपकी कंपनी को इस सुविधा का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए और उसे अपने ग्राहकों तक पहुंचाना चाहिए, जहां कहीं ये सुविधाएं उपलब्ध हों । भवन निर्माताओं की परियोजनाओं/कारपोरेट में भवन निर्माताओं/त्रिपक्षीय व्यवस्था के समय इस सुविधा का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए । सभी अन्य मामलों में तथा व्यैक्तिक ऋणियों को फुटकर आवास ऋण देते समय भी इस सुविधा का प्रयोग बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए । इसी प्रकार, इस सुविधा का प्रयोग अपने घटकों और ऋणियों से भुगतान प्राप्त करते समय भी प्रयोग करना चाहिए जिन्हें ऋण चुकता करने के लिये इलैक्ट्रानिक मोड का प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिए । अपने ग्राहकों में इलैक्ट्रानिक साधनों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिये, आपको सूचित किया जाता है कि भुगतान के इन उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाएं । ई-भुगतान और ई-प्राप्तियों के उपायों में अधिकाधिक ऋणियों को शामिल करने और विस्तारित करने के लिए लगातार प्रयास किये जाने चाहिए । ऐसा करते समय आवास वित्त कंपनियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि इस सुविधा का लाभ उठाने वाले ऋणियों/प्रयोक्ताओं से कोई अतिरिक्त प्रभार वसूल नहीं किया जाए क्योंकि उससे इस सुविधा को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा ।

हमें प्रसन्नता होगी यदि आप तदनुसार अपनी शाखाओं/कार्यालयों को निर्देश जारी करें ।

कृपया पावती दें ।

भवदीय

आर.एस. गर्ग

(आर.एस. गर्ग)

महाप्रबंधक